उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-13/2023/410/78-1-2023-05आई0टी0/2022

लखनऊः दिनांक : 11 ~~मार्च~~ अप्रैल,2023

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1829/78-1-2022-05आई0टी0/2022, दिनांक 18 नवम्बर 2022 द्वारा नई ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा नीति-2022'' जारी की गई है, जो कि अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

2- ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा नीति-2022'' के प्रस्तर-7.1 के अन्तर्गत व्यवस्था है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा नीति के विकास और इसके क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा। सशक्त समिति द्वारा अंतर्विभागीय समन्वयन तथा निवेशकों की कठिनाईयों/समस्याओं के निवारण के लिए आईटी सिटी/आईटी पार्क/वृहद आईटी/आईटीईएस परियोजनाओं/उत्कृष्टता के केन्द्रों के विकास हेतु केस-टू-केस आधार पर निवेश के लिए संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

3- ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा नीति-2022'' में प्रदत्त उक्त व्यवस्था के क्रम में निम्न प्रकार से सशक्त समिति का गठन किया जाता हैः-

1	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य

13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
14	सचिव/विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य सचिव

4- उक्त सशक्त समिति का अधिकार-पत्र (Charter) निम्नवत् होगा:-

- अनुश्रवण एवं सुनिश्चित करना कि सम्बन्धित आदेशों/अधिसूचनाओं तथा संशोधनों को स-समय जारी कर दिया जाये।
- केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहनों हेतु संस्तुति प्रदान करना।
- उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा नीति-2022 के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा के शिथिलता सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचारोपरान्त संस्तुति प्रदान करना।
- आईटी सिटी/आईटी पार्क्स/वृहद आईटी/आईटीईएस परियोजनाओं/उत्प्रेरकों/ उत्कृष्टता के केन्द्रों के विकास, अन्तर्विभागीय समन्वय की स्थापना, तथा निवेशकों इत्यादि की कठिनाईयों/समस्याओं पर विचार कर संस्तुति/निर्णय देना।
- इस नीति से सम्बन्धित मामलों में अन्तर्विभागीय सामन्जस्य (Inter Departmental coordination) स्थापित करना।
- उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा नीति-2022 के कार्यान्वयन का प्रभावी मूल्यांकन (evaluation) तथा सभी स्तरों पर क्रियान्वयन(implementation) से सम्बन्धित बिन्दुओं का समाधान (resolve)।

5- नीति के अन्तर्गत प्रोत्सहनों हेतु विचार के लिए रू0 200.00 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों को नीति कार्यान्वयन की संस्तुति पर सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा ऐसे निवेश प्रस्ताव सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य के मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन होंगे।

6- प्रोत्साहन संवितरण हेतु रू0 200.00 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रकरण नीति कार्यान्वयन की संस्तुति के पश्चात् सशक्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेंगे।

7- यूपीएलसी, उपरोक्तानुसार सशक्त समिति की बैठक आयोजित कराने की व्यवस्था करेंगे तथा बैठक के पूर्व वांछित सूचनाओं को तैयार कराकर समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कराकर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

(नरेन्द्र भूषण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2023 /410(1)/78-1-2023,तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अवस्थापना एवं औद्‌योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन

2- सशक्त समिति के समस्त सदस्यगण।

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अक्षय त्रिपाठी)
विशेष सचिव।